अनुबंध IV

संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन

अधिसूचित एनबीएफसी को सूचित किया जाता है कि उधारदाताओं ने सीआरआईएलसी को एक खाता के एसएमए-2 के रूप में होने की सूचना दी है तो यदि खाते में कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये और ऊपर है [निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक साथ] तो जल्द ही अनिवार्य रूप से संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) कहलाने वाली समिति का गठन करना चाहिए। उधारदाताओं के पास एक जेएलएफ़ बनाने का विकल्प तब भी होता है जब एक खाते में एई 1000 लाख रुपये से कम और / या खाता एसएमए -0 या एसएमए-1 के रूप में रूप में होने की सूचना दी है।

1.2 कंसोर्टियम खातों के लिए मौजूदा कंसोर्टियम व्यवस्था जेएलएफ़ के रूप में काम करेगी जिसमे कंसोर्टियम नेता संयोजक के रूप में काम करेगा, विविध बैंकिंग व्यवस्था (एमबीए) के खातों के लिए उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जल्द से जल्द जेएलएफ़ बुलाएगा और खाते पर क्रेडिट सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाएगा। होगी । एक उधारकर्ता के लिए उधारदाताओं के कई संघ होने पर(कार्यशील पूंजी और अवधि के ऋणों के लिए अलग कंसोर्टियम) ऐसे मामले में उच्चतम एई के साथ ऋणदाता जेएलएफ़ आयोजित करेगा।

1.3 उधारकर्ता आसन्न तनाव के कारण प्रमाण आधार के साथ जेएलएफ़ के गठन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।जब इस तरह का अनुरोध एक ऋणदाता द्वारा प्राप्त होता है तो ऐसे खाते को सीआरआईएलसी को एसएमए-0 के रूप में सूचित किया जाना चाहिए, और ऋण दाता को कुल निवेश (एई) 1000 मिलियन रूपये के ऊपर है होने पर जल्द ही संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ़) का गठन करना चाहिए। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि एसएमए -0 रिपोर्टिंग के अन्य मामलों में वर्तमान में जेएलएफ़ का गठन वैकल्पिक है ।

1.4 सभी उधारदाताओं को जेएलएफ़ के कामकाज के लिए व्यापक नियम शामिल कर एक समझौता तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) एक मास्टर जेएलएफ़ समझौते और जेएलएफ़ के लिए परिचालन दिशा निर्देश को तैयार करेंगे जिसे सभी उधारदाताओं द्वारा अपनाया जा सकता है । जेएलएफ़ को खाते में अनियमितताओं / कमजोरियों को ऋण लेने वाले द्वारा ठीक करने की संभावना

का पता लगाना चाहिए। जेएलएफ़ वित्तपोषित परियोजना के कार्यान्वयन में एक भूमिका है रखने वाले केंद्र / राज्य सरकार / परियोजना अधिकारियों / स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकते है।

1.5 जेएलएफ़ गठन और बाद की सुधारात्मक कार्रवाई 1000 करोड़ एयर अधिक के एई होने वाले खातों में अनिवार्य हो जाएगा जबकि अन्य मामलों में भी उधारदाताओं को बारीकी से संपत्ति की गुणवत्ता पर नजर रखने और प्रभावी समाधान के लिए उचित समझी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

2 जेएलएफ़ द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (कैप)

2.1 जेएलएफ़ खाते में तनाव को हल करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगा सकता है। इरादा एक विशेष संकल्प विकल्प जैसे भुगतान अनुसूची पुन: बनाना या वसूली को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि आर्थिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य के साथ ही उधारदाताओं के ऋण संरक्षित करने के लिए जल्दी और संभव समाधान पर पहुंचना है। जेएलएफ़ द्वारा कैप के तहत विकल्प मे आम तौर पर शामिल होगा:

(ए) सुधार - खाते को नियमित करने के लिए ऋण लेने वाले से एक विशिष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त करना ताकि खाते एसएमए स्थिति से बाहर आए या एनपीए की श्रेणी में नहीं जाए । प्रतिबद्धता को आवश्यक समय अवधि के भीतर और मौजूदा उधारदाताओं की ओर से किसी भी नुकसान या बलिदान को शामिल किए बिना पहचान योग्य नकदी प्रवाह के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रमोटर अतिरिक्त पैसे लाने या खाते को नियमित करने की स्थिति में नहीं हैं तो जेएलएफ़ को उधारकर्ता के परामर्श से कंपनी के लिए कुछ अन्य इक्विटी / रणनीतिक निवेशकों को मिलने की संभावना की तलाश करनी चाहिए । इन उपायों का उद्देश्य संस्था / कंपनी के ऋण के नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना सुधार करना है । जेएलएफ़ अगर आवश्यक हो तो सुधार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ऋण लेने के लिए आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है. हालांकि यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त वित्तपोषण खाता कभी एवर ग्रीनिंग के उद्देश्य से प्रदान नहीं की है ।

(बी) भुगतान अनुसूची पुन: बनाना – यदि प्रथम दृष्टया व्यवहार्य है तो खाते के भुगतान अनुसूची पुन: बनाने पर विचार होना चाहिए और इसके लिए धन का डाइवर्जन , धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस स्तर पर उनके व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए प्रमोटरों से प्रतिबद्धता जो उनकी निवल मूल्य के स्टेटमेंट के

साथ संपत्ति को कानूनी हक की प्रतियां द्वारा समर्थित और इस घोषणा के साथ प्राप्त किया जा सकता है कि वे जेएलएफ़ की अनुमति के बिना संपत्ति का निपटान करने वाला किसी भी प्रकार का लेन - देन का नहीं करेंगे । ऋण की सुरक्षा / वसूली को प्रभावित करने वाला उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिबद्धता से कोई भी विचलन वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक वैध कारक के रूप में माना जा सकता है। इस कार्रवाई के स्थायी होने के लिए, जेएलएफ़ में उधारदाताओं को एक इंटर ऋणदाता करार (आईसीए) पर उधारकर्ता को देनदार ऋणदाता करार (डीसीए) पर हस्ताक्षर करने चाहिए जिससे किसी भी भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की प्रक्रिया को कानूनी आधार मिलेगा । आईसीए और डीसीए द्वारा निगमित ऋण रिस्ट्रक्चर(सीडीआर) तंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूप को उपयुक्त बदलाव के साथ यदि आवश्यक हो अपनाया जा सकता है। इसके अलावा, एक स्टैंड स्टील'[1] प्रावधान भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की सहज प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए डीसीए में निर्धारित किया जा सकता है। 'स्टैंड स्टील' प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता को उधारदाताओं को भुगतान करने से रोका गया है । आईसीए निर्धारित कर सकते हैं कि अंतिम समाधान से दोनों सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार सहमत हो।

(सी) वसूली - पहले ऊपर के दो विकल्प (ए) और (बी) संभव नहीं है, तो वसूली की प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। जेएलएफ़ उपलब्ध विभिन्न कानूनी और अन्य वसूली विकल्पों मे से प्रयासों और परिणामों के अनुकूलन के अनुसार सबसे अच्छा वसूली की प्रक्रिया तय कर सकते हैं।

2.2 जेएलएफ़ में न्यूनतम मूल्य से 75% लेनदारों और संख्या से 60%लेनदारों के सहमति से निर्णय से खाते के भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए आधार के रूप में विचार किया जाएगा और आईसीए की शर्तों के तहत सभी उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगा। हालांकि यदि जेएलएफ़ वसूली के साथ

[1] इन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2.3 और 2 .4 में बताए गए समय सीमा के अनुसार “स्टैंड स्टील” समझौता डीसीए पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से रिस्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी की तारीख तक की अवधि के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, देनदार और लेनदार दोनों एक कानूनी रूप से बाध्यकारी 'स्टैंड स्टील' के लिए सहमत होगा जहा दोनों पार्टिया 'स्टैंड स्टील' के दौरान किसी भी अन्य पर कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध है । यह न्यायिक या अन्यथा किसी भी बाहर के हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण रिस्ट्रक्चर गतिविधि करने के लिए आवश्यक होगा। हालांकि 'स्टैंड स्टील' अन्य पार्टी के खिलाफ ऋणदाता द्वारा या ऋण लेने वाले को केवल किसी भी सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा और किसी भी आपराधिक कार्रवाई को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा 'स्टैंड स्टील' अवधि के दौरान, बकाया विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, व्युत्पन्न उत्पादों आदि को क्रिस्टलाइज़ किया जा सकता है यदि उधारकर्ता ऐसे क्रिस्टलीकरण के लिए सहमत है । इसके अलावा उधारकर्ता घोषणा करेगा कि 'स्टैंड स्टील' अवधि के दौरान दस्तावेज लिमिटेशन की अवधि के लिए बढ़ा दिए जाएंगे और किसी अन्य प्राधिकारी को किसी भी राहत के लिए संपर्क नहीं करेंगे। ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक 'स्टैंड स्टील' अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे ।

आगे बढ़ने का फैसला लेता है तो बाध्यकारी निर्णय के लिए किसी भी प्रासंगिक कानूनों / अधिनियमों के तहत न्यूनतम मापदंड लागू होगा।

2 .3 जेएलएफ़ को (i) एक या एक से अधिक ऋणदाता के द्वारा खाते को एसएमए-2 के रूप में सूचित किया जा रहा है या (ii) उधारकर्ता द्वारा उपयुक्त आधार के साथ, यदि उसे आसन्न तनाव का पता चलता है, जेएलएफ़ बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हो से 30 दिनों के भीतर कैप के लिए अपनाया जाने वाले विकल्प पर एक समझौते पर पहुंचना आवश्यक होगा। जेएलएफ़ को ऐसे समझौते पर पहुंचने की तिथि से अगले 30 दिनों के भीतर विस्तृत अंतिम कैप से बाहर निकलना चाहिए ।

2.4 यदि जेएलएफ़ 2.1 (ए) और (बी)विकल्प पर फैसला लेता है , लेकिन खाता विकल्प 2.1 (ए) और (बी) के तहत सहमत शर्तों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो जेएलएफ़ को विकल्प 2.1 (सी) के तहत वसूली आरंभ करना चाहिए ।

(3) भुगतान अनुसूची पुन: बनाने की प्रक्रिया

3.1 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने पर रिजर्व बैंक की वर्तमान प्रूडेंशियल दिशा निर्देश व्यक्तिगत और / कंसोर्तीयम व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली और मानक निर्धारित करते है। निगमित ऋण रिस्ट्रक्चरतंत्र (सीडीआर) बैंकों और एनबीएफसी के द्वारा व्यक्तिगत और / कंसोर्तीयम अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा है जिसमें लेनदार लेन - देन आधारित समझौतों पर हस्ताक्षर करके शामिल हो सकते हैं ।

3.2जेएलएफ़ कैप के रूप में खाते की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने का निर्णय लेता है तो, इसे उपरोक्त पैरा 2.1 के तहत भुगतान अनुसूची पुन: बनाने का निर्णय लेने के बाद इसे सीडीआर सेल या सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र प्रणाली अपनाने का विकल्प होगा।

3.3 जेएलएफ़ द्वारा भुगतान अनुसूची पुन: बनाना

3.3.1 यदि जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र से स्वतंत्र किसी खाते का भुगतान अनुसूची पुन: बनाने करने का फैसला करता है तो जेएलएफ़ को विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन करना चाहिए, और व्यवहार्य पाया गया , तो अंतिम कैप से साइन ऑफ करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को अंतिम रूप देना चाहिए।

3.3.2 5000 करोड़ से कम की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के पैकेज को जेएलएफ़ की मंजूरी होनी चाहिए और कार्यान्वयन के लिए सूचना अगले 15 दिनों के भीतर उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ताओ को दी जानी चाहिए।

3.3.3 5000 करोड़ और उससे अधिक की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त टीईवी अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी)[2] द्वारा मूल्यांकन के अधीन होना होगा। आईईसी यह सुनिश्चित करने के बाद व्यवहार्यता पहलुओं पर गौर करेंगे कि रिस्ट्रक्चरिंग के मामले उधारदाताओं के लिए निष्पक्ष हैं । आईईसी के लिए जेएलएफ़ को 30 दिन की अवधि के भीतर इन मामलों में अपनी सिफारिश देने के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद, आईईसी के मत पर विचार कर जेएलएफ़ रिस्ट्रक्चरके साथ आगे जाने का फैसला करती है तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज उधारदाताओं और ऋण लेने वाले के बीच परस्पर सहमति से सभी नियमों और शर्तों सहित, सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होगा और कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारकर्ता को सूचित करना होगा।

3 .3.4 मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत लागू परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ सीडीआर तंत्र के तहत रिस्ट्रक्चर किया गया खातो पर लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए जेएलएफ़ के गठन की तारीख को खाते का परिसंपत्ति वर्गीकरण ध्यान में लिया जाएगा।

3.3.5 उपर्युक्त समय सीमा अधिकतम अनुमत समय अवधि हैं और जेएलएफ़ को सरल रिस्ट्रक्चरिंग के मामलों में जल्द से जल्द एक रिस्ट्रक्चर पैकेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए।

3.3.6 जेएलएफ़ द्वारा एक या एक से अधिक उधारदाताओं द्वारा केवल मानक, एसएमए या उप मानक के रूप में सूचित रिस्ट्रक्चर संपत्ति के मामलों किया जाएगा। आम तौर पर संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत कोई खाता रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जेएलएफ़ द्वारा विचार किया जाना चाहिए, मामलों में जहां ऋण का एक छोटा सा हिस्सा संदिग्ध है यदि कम से कम 90% लेनदारों (मूल्य से) की बहियो में खाते मानक / उप मानक है तो खाता रिस्ट्रक्चर करने के लिए जेएलएफ़ के तहत विचार किया जा सकता है।

[2] आईईसी का गठन और स्वतंत्र विशेषज्ञों के लिए फीस के भुगतान पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा फैसला किया जाएगा।

3.3.7 खाते की व्यवहार्यता जेएलएफ़ द्वारा अपने निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता मानक पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, पैरामीटर मे डेट इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी / वर्तमान अनुपात और रिस्ट्रक्चर किए गए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के एवज में आवश्यक प्रावधान की राशि आदि शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, जेएलएफ़ सीडीआर तंत्र द्वारा अपनाई व्यवहार्यता मापदंडों को मानक मान सकते हैं (' एनबीएफसी द्वारा ऋणों की रिस्ट्रक्चरिंग पर प्रूडेंशियल दिशानिर्देश की समीक्षा' पर 23 जनवरी 2014 को जारी परिपत्र No.DNBS.CO.PD.No.367/03.10.01/2013-14 के परिशिष्ट में वर्णित किए अनुसार और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अलग प्रदर्शन संकेतक को ध्यान मे लेकर उपयुक्त समायोजन कर अपना सकते है।

3.4 सीडीआर सेल को जेएलएफ़ द्वारा भेजा गया रिस्ट्रक्चरिंग

3.4.1 पैरा 2.1 के तहत रिस्ट्रक्चर करने का निर्णय लिए जाने के बाद यदि जेएलएफ़ खाते को सीडीआर सेल के पास भेजने का फैसला करता है तो निम्न प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

3.4.2 चूंकि खाते की प्रारंभिक व्यवहार्यता पर पहले से ही जेएलएफ़ द्वारा निर्णय लिया गया है, सीडीआर सेल को सीधे जेएलएफ़ के परामर्श से और जेएलएफ़ के संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन और रिस्ट्रक्चरिंग योजना तैयार करना चाहिए ।

3 .4.3 कम से कम 5000 करोड़ की एई वाले खातों के लिए, उपर्युक्त रिस्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी के लिए सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह (ईजी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मौजूदा निर्देशों के तहत, सीडीआर ईजी अनुमोदन या संशोधनों के सुझाव दे सकता है कि लेकिन सुनिश्चित करे कि अंतिम निर्णय सीडीआर सेल के संदर्भ की तारीख से 90 दिनों की कुल अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए जिसे 180 दिनों की अधिकतम करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, जेएलएफ़ द्वारा सीडीआर सेल में भेजे मामलों को अंत में अगले 30 दिनों के भीतर सीडीआर ईजी द्वारा तय करना होगा। यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हैं तो रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज सभी ऋणदाता द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अगले 30 दिनों के भीतर ऋण लेने वाले को सूचना दी जानी चाहिए।

4. जेएलएफ/सीडीआर सेल द्वारा पुनर्रचना से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें।

4.1 जेएलएफ और सीडीआर दोनो पद्धति के तहत, पुनर्रचना पैकेज भी टाइमलाइन में निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके दौरान व्यवहार्य माइलस्टोन (जैसे समय अवधि यथा 6 माह अथवा 1 वर्ष और उसके बाद भी निश्चित वित्तीय अनुपात में सुधार) को प्राप्त किया जा सके। जेएलएफ खाते का माइलस्टोन प्राप्त करना/नहीं प्राप्त करने के संबंध में अनिवार्य आवधिक समीक्षा किया जाए तथा वसूली के उपाय जैसा उचित समझा जाए को शामिल करते हुए समुचित उपाय प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

4.2 जेएलएफ अथवा सीडीआर के तहत विनिर्दिष्ट समय अवधि में पुनर्रचना को पूरा किया जाना है। जेएलएफ तथा सीडीआर सेल का विनिर्दिष्ट टाइमलाइन में बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि समग्र समय सीमा भंग ना हो। पुनर्रचना के किसी भी प्रणाली में यदि जेएलएफ/सीडीआर को गतिविधि के लिए निर्धारित सीमा से कम समय लगता है तो अन्य गतिविधि के लिए शेष समय का उपयोग पर निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते समग्र समय सीमा भंग ना हो।

4.3 पुनर्रचना का सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिए कि शेयर धारक, डेट धारक के बजाए पहला हानि वहन करें। इस सिद्धांत के आलोक में तथा प्रोमोटर्स का "स्कीन इन द गेम/ इसमें बने रहना" को सुनिश्चित करने के लिए, जेएलएफ/सीडीआर को ऋण पुनर्रचना करते समय निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना चाहिए:

- प्रोमोटर्स द्वारा उधारदारा के उठाए गए हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी के इक्विटी का हस्तांतरण की संभावना;
- प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में और इक्विटी डालना चाहिए;
- प्रोमोटर्स का धारित प्रतिभूति न्यासी का अंतरण अथवा कंपनी के कायापलट तक निलंबन की व्यवस्था। इससे प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन होगा जो उधारदाता के हित में होगा।

4.4 ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ता ने गतिविधि का विविधीकरण अथवा विस्तार किया हो जिसके परिणाम स्वरूप ग्रूप के मूल कारोबार पर दबाव बनता हो और ऐसी स्थिति में गैर-मूल आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों की बिक्री के लिए पुनर्रचना खातो हेतु एक क्लॉज निर्धारित किया जाए कि खाता टीईवी अध्यय के तहत गैर-मूल गतिविधि तथा अन्य आस्तियों की व्यवहार्यता की बन्द होने की संभावना है।

4.5 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया का पुनर्रचना हेतु उधारदाता प्रारंभ से अपनी हानि/त्याग की क्षतिपूर्ति हेतु कंपनी की अग्रिम इक्विटी जारी कर भरपाई कर सकती है बशर्ते मौजूदा विनियम और सांविधिक आवश्कताओं को पूरा किया जाए। ऐसे माम्लों में, पुनर्रचना करार में क्षतिपूर्ति का अधिकार के किसी क्लॉज को शामिल करने नहीं किया जाए। तथापि, यदि उधारदाता के त्याग की पूर्ण भरपाई इक्विटी जारी कर नहीं

होता है तो कम समय के विस्तार में क्षतिपूर्ति का अधिकार को शामिल किया जा सकता है। गैर सूचिबद्ध कंपनियों के लिए इक्विटी जारी करना अथवा उचित "क्षतिपूर्ति का अधिकार" क्लॉज के लिए जेएलएफ विकल्प होगा।

4.6 प्रतिभूत उधारदाताओं, अंशत: प्रतिभूत उधारदाता और गैर प्रतिभूत उधारदाता के लिए उपलब्ध प्रतिभूति हित में अंतर स्थापित करने के लिए जेएलएफ/सीडीआर निम्न भिन्न विकल्पों के अनुसार विचार कर सकते है:

- पुनर्भुगतान संबंधि उधारदाताओं की उक्त श्रेणी के बीच आईसीए का अग्रिम करार; मंजूर वाटरफाल पद्धति के अनुसार;
- प्रतिभूत क्रेडिटर का अग्रिम निर्धारण करते हुए संरचित करार;
- निश्चित पूर्व सहमति व्यक्त अनुपात में प्रतिभूत, अंशत: प्रतिभूत और गैर प्रतिभूत उधारदाताओं के बीच पुनर्भुगतान प्रक्रिया का विनियोजन।

उक्त सूची के वल उदाहरण के लिए है तथा परस्पर स्वीकृति विकल्प के आधार पर जेएलएफ निर्णय ले सकते है। यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि एक उधारदाता के पास बेहत प्रतिभूत विकल्प हो सकता है जब वह एक उधारकर्ता के पास अथवा इसके विपरित मामले में अन्य उधारकर्ता के पास जाता है। अत: यह लाभार्थी होगा यदि उधारदाता साथी उधारदाताओं की चिंताओं को समझता है और आर्थिक मूल्य के संरक्षण के आलोक में पारस्परिक रूप से सहमत विकल्प तह पहुंचते है। एक विकल्प पर सहमति होने के बाद उधारदाता के पास बडा एक्सपोजर होगा जो एक बार पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन पर सहमत शर्तों के अनुसार संवितरण को सुनिश्चित करने में लीड(प्रमुख) करेगा।

4.7 विवेकपूर्ण मानदंड और परिचालनगत ब्योरों के संबंध में, सीडीआर पद्धति पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिशानिदेश का विस्तार उन तक लागू होगा जो इन दिशानिदेशों के साथ असंगत नहीं है।

5. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड

5.1 जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार करते समय, साम्न्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होगा। आस्ति पुन: वर्गीकरण प्रक्रिया को केवल इसलिए नहीं रोका जाए कि जेएलएफ/सीडीआर द्वारा पुनर्रचना प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

5.2 तथापि, पुनर्रचना पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन को बढावा देने के लिए, इन दिशानिदेशों के तहत खातो का पुनर्रचना करने के लिए मौजूदा दिशानिदेश के अनुसार खातो का पुनर्रचना पर विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ उपलब्ध होगा, बशर्ते उक्त पैता 3.3 तथा 3.4 में वर्णित पुनर्रचना पैकेज का समग्र समय सीमा क्ली मंजूरी का पालन किया जाए और मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के अंदर मंजूर पैकेज का कार्यान्वयन किया जाए। जेएलएफ के गठन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण अंतिम पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय करने के लिए प्रासंगिक तारीख होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का 23 जनवरी 2014 के परिपत्र द्वारा एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि थापि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋणों के संबंध में सभी पुनर्रचना के लिए विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) में परिवर्तन संबंधित प्रावधानों के अपवाद सहित प्रभावी 1 अप्रैल 2015 से वापस ले लिया जाएगा।

5.3 इन दिशानिदेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उधारकर्ताओं द्वारा क्रेडिट के संबंध में गैर अनुशासन को हतोत्साहित करने के लिए, दिशानिदेशों के प्रावधानों (इन दिशानिदेश में वर्णित) को लागू किया जाए।

***